नेशनल यूथ काइट फ्लाइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया
NATIONAL YOUTH KITE FLYING FEDERATION OF INDIA
HEADQUARTERS
REG NO : NYKFFI-61/2026
+91- 98291 04567,96506 90427,7217549555,6392691656
nykffihq@gmail.com
159-Near Railway Crossing Serkoi Bhoor MBD-UP-INDIA
www.nykffi.com

IFRAEEM :National President
AKSHAY GUPTA :National Secretary
GYANESH DIXIT :National Treasurer
SAMI ANSARI :National Joint Secretary

REF NO-NYKFFI-01-2026 **DATE :13-08-2026**

सुरक्षित, जिम्मेदार एवं कानूनसम्मत पतंगबाजी हेतु
अखिल भारतीय अपील एवं दिशा-निर्देश
15 अगस्त 2026 – स्वतंत्रता दिवस तथा आगामी श्रावण पर्व एवं रक्षाबंधन के पावन अवसर पर

सेवा में,

सभी पदाधिकारी एवं सदस्यगण,

काइट फ्लाइंग एसोसिएशन / सिटी काइट एसोसिएशन,

पतंग निर्माता / मांझा निर्माता / पतंग विक्रेता,

पतंगबाजी क्लब, आयोजक, स्वयंसेवक, अभिभावक एवं समस्त पतंगबाजी प्रेमी तथा देशवासी।

विषय: 15 अगस्त 2026 एवं आगामी श्रावण पर्व / रक्षाबंधन के अवसर पर सुरक्षित, जिम्मेदार, पर्यावरण-अनुकूल एवं कानूनसम्मत पतंगबाजी के संबंध में अखिल भारतीय अपील एवं दिशा-निर्देश।

महोदय/महोदया,

पतंगबाजी भारत की एक लोकप्रिय सांस्कृतिक एवं पारंपरिक गतिविधि है, जो परिवारों, बच्चों, युवाओं और समाज को खुशी, उत्साह एवं आपसी भाईचारे से जोड़ती है। स्वतंत्रता दिवस तथा विभिन्न पर्वों के अवसर पर पतंगबाजी हमारे उत्सवों में रंग और उमंग भरती है। **राष्ट्रीय युवा पतंगबाजी महासंघ भारत** (NYKFFI) की ओर से **15 अगस्त 2026 – स्वतंत्रता दिवस** तथा आगामी **श्रावण पर्व एवं रक्षाबंधन** के अवसर पर देशभर के सभी पतंगबाजी संगठनों, पतंग निर्माताओं, मांझा निर्माताओं, विक्रेताओं, आयोजकों, स्वयंसेवकों, अभिभावकों एवं पतंगबाजी प्रेमियों से विनम्र अपील है कि पतंगबाजी को **सुरक्षित, जिम्मेदार, पर्यावरण-अनुकूल एवं कानूनसम्मत** तरीके से मनाया जाए।

हमारा संदेश

"पतंग उड़ाएँ, सावधानी नहीं छोड़ें — सुरक्षित उड़ान, जिम्मेदार नागरिकता।"

हमारी प्रमुख अपील एवं दिशा-निर्देश

1. सुरक्षा सर्वोपरि रखें।

पतंगबाजी आनंद और उत्सव का माध्यम होनी चाहिए, किसी व्यक्ति, बच्चे, पशु-पक्षी या आम नागरिक के लिए खतरे का कारण नहीं।

2. सभी लागू कानूनों एवं सरकारी निर्देशों का पालन करें।

केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन, पुलिस, नगर निकाय, रेलवे, विद्युत विभाग तथा अन्य सक्षम प्राधिकरणों द्वारा जारी नियमों एवं स्थानीय आदेशों का पूर्ण पालन करें।

3. केवल सुरक्षित एवं कानून द्वारा अनुमत धागे/मांझे का उपयोग करें।

किसी भी प्रतिबंधित, खतरनाक या जानलेवा धागे का उपयोग न करें।

4. चीनी मांझा एवं प्रतिबंधित मांझे का उपयोग न करें।

धातु-युक्त, नायलॉन, सिंथेटिक अथवा अन्य खतरनाक धागे का उपयोग, जहाँ कानून अथवा स्थानीय आदेश द्वारा प्रतिबंधित हो, बिल्कुल न करें।

5. सुरक्षित स्थानों पर ही पतंग उड़ाएँ।

सड़क, राजमार्ग, रेलवे ट्रैक एवं रेलवे परिसर, हवाई अड्डे, विद्युत तार, विद्युत उपकेंद्र तथा अन्य जोखिम वाले स्थानों से पर्याप्त दूरी बनाए रखें।

6. बच्चों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें।

बच्चों को पतंगबाजी केवल जिम्मेदार वयस्कों की देखरेख में करने दें। बच्चों को खतरनाक या प्रतिबंधित मांझा न दें।

7. पक्षियों एवं पशुओं की रक्षा करें।

पतंगबाजी के बाद बचे हुए धागे और पतंगों को खुले स्थानों में न छोड़ें। उन्हें एकत्र कर उचित तरीके से नष्ट/निपटान करें।

8. सड़क एवं सार्वजनिक स्थानों पर मांझा न फैलाएँ।

सड़क, रास्ते, रेलवे क्षेत्र अथवा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर ऐसा धागा न छोड़ें जिससे राहगीर, साइकिल चालक, मोटरसाइकिल चालक या वाहन चालक घायल हो सकते हैं।

9. भीड़भाड़ वाले स्थानों से बचें।

पतंगबाजी के कारण सार्वजनिक आवागमन, यातायात अथवा आपातकालीन सेवाओं में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें।

10. पतंग एवं मांझा विक्रेताओं से विशेष अपील।

विक्रेता प्रतिबंधित अथवा खतरनाक मांझे की बिक्री न करें तथा ग्राहकों को सुरक्षित एवं कानूनसम्मत पतंगबाजी के प्रति जागरूक करें।

11. आयोजन समितियाँ सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें।

पतंगबाजी कार्यक्रम आयोजित करने वाले संगठन सुरक्षा जागरूकता, उचित निगरानी एवं आवश्यक प्रशासनिक समन्वय सुनिश्चित करें।

12. स्वच्छता एवं पर्यावरण का ध्यान रखें।

पतंग, कागज, प्लास्टिक तथा धागे का कचरा सड़कों, छतों, नालियों, पेड़ों एवं सार्वजनिक स्थानों पर न फेंकें।

सभी पतंगबाजी संगठनों से विशेष अपील

देशभर के सभी **काइट फ्लाइंग एसोसिएशन, सिटी काइट एसोसिएशन, क्लब एवं आयोजन समितियों** से अनुरोध है कि वे:

- सुरक्षित पतंगबाजी जागरूकता अभियान चलाएँ।
- सुरक्षित एवं पर्यावरण-अनुकूल पतंगबाजी को बढ़ावा दें।
- प्रतिबंधित एवं खतरनाक मांझे के विरुद्ध जन-जागरूकता फैलाएँ।
- बच्चों एवं युवाओं को सुरक्षित पतंगबाजी के नियम समझाएँ।
- स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस के साथ आवश्यक सहयोग करें।
- पक्षियों, पशुओं, पर्यावरण एवं आम जनता की सुरक्षा को प्राथमिकता दें।
- किसी भी ऐसी गतिविधि को तुरंत रोकें जिससे सार्वजनिक सुरक्षा को गंभीर खतरा हो।

प्रत्येक पतंगबाजी प्रेमी से अपील

15 अगस्त 2026 को उड़ने वाली हर पतंग में **आजादी, एकता, भाईचारे और जिम्मेदारी** का संदेश हो।

श्रावण पर्व एवं रक्षाबंधन के अवसर पर हमारी पतंगबाजी में **परिवार, समाज, प्रकृति, पशु-पक्षियों और मानव जीवन के प्रति सम्मान** दिखाई दे।

आजादी अधिकार भी है और जिम्मेदारी भी।

परंपरा का अर्थ सुरक्षा और सम्मान है।

पतंगबाजी का अर्थ खुशी है, खतरा नहीं।

आइए, पूरे भारत में **सुरक्षित पतंगबाजी, जिम्मेदार पतंगबाजी और कानूनसम्मत पतंगबाजी** की संस्कृति को मजबूत करें।

संकल्प

"मैं सुरक्षित, जिम्मेदार एवं कानूनसम्मत पतंगबाजी का पालन करूंगा/करूंगी।

मैं प्रतिबंधित अथवा खतरनाक मांझे का उपयोग नहीं करूंगा/करूंगी।

मैं मनुष्य, पक्षी, पशु, पर्यावरण एवं सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा का ध्यान रखूंगा/रखूंगी।

मैं पतंगबाजी को आनंद, भाईचारे और जिम्मेदारी के साथ मनाऊंगा/मनाऊंगी।"

समापन अपील

राष्ट्रीय युवा पतंगबाजी महासंघ भारत (NYKFFI) देश के सभी संबंधित संगठनों एवं नागरिकों से अपील करता है कि **15 अगस्त 2026 तथा आगामी श्रावण पर्व एवं रक्षाबंधन** को सुरक्षित, शांतिपूर्ण, स्वच्छ, पर्यावरण-अनुकूल एवं जिम्मेदार तरीके से मनाएँ।

आइए, स्वतंत्रता एवं त्योहारों की खुशियाँ **जिम्मेदारी के साथ** मनाएँ।

जिम्मेदार बनें • सुरक्षित रहें • कानून का पालन करें • जीवन एवं प्रकृति की रक्षा करें

जनहित में जारी

राष्ट्रीय युवा पतंगबाजी महासंघ भारत (NYKFFI)

जय हिन्द | सुरक्षित पतंगबाजी | जिम्मेदार भारत

अक्षय गुप्ता
एन.वाई.के.एफ.एफ.आई.
मुख्यालय

समी अंसारी
एन.वाई.के.एफ.एफ.आई.
मुख्यालय

ज्ञानेश दीक्षित
एन.वाई.के.एफ.एफ.आई.
मुख्यालय

इफाईम
एन.वाई.के.एफ.एफ.आई.
मुख्यालय

प्रतिलिपि / Copy To — सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु

1. **महासचिव, नेशनल यूथ काइट फ्लाइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (NYKFFI)**
2. **युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार**
3. **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार**
4. **रेल मंत्रालय, भारत सरकार**
5. **विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार**
6. **नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार**
7. **सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार**
8. **सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव**
9. **सभी राज्यों के गृह विभाग / गृह सचिव**
10. **सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशक (DGP)**
11. **सभी जिला मजिस्ट्रेट / जिलाधिकारी**
12. **सभी जिला पुलिस अधीक्षक / पुलिस आयुक्त**
13. **सभी नगर निगम / नगर पालिका / नगर निकाय**
14. **भारतीय रेल के सभी संबंधित जोन एवं मंडल**
15. **सभी विद्युत वितरण कंपनियाँ / विद्युत विभाग**
16. **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) एवं संबंधित हवाई अड्डा प्राधिकरण**
17. **राष्ट्रीय एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड**
18. **पशु कल्याण एवं पक्षी संरक्षण से संबंधित विभाग / संस्थाएँ**
19. सभी पदाधिकारी एवं सदस्यगण,काइट फ्लाइंग एसोसिएशन / सिटी काइट एसोसिएशन,पतंग निर्माता / मांझा निर्माता / पतंग विक्रेता,**सभी पतंग निर्माता, मांझा निर्माता एवं पतंग विक्रेता**
20. **सभी पतंगबाजी क्लब, आयोजन समितियाँ एवं स्वयंसेवी संगठन**
21. **प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा जन-जागरूकता संस्थाएँ**
22. **सभी संबंधित विभाग एवं हितधारक — आवश्यक कार्रवाई एवं व्यापक जन-जागरूकता हेतु।**